

जावक क्रमांकदिनांक

एजेण्डा क्रमांक-01

राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 28-09-2018 को आयोजित बैठक का एजेण्डा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के क्रम में निम्न प्रकरण शीघ्र सुनवाई के निर्देशों के क्रम में नियत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

स्थान :-भोपाल

समय प्रातः 11.00 बजे

स.क्रं.	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	आवेदक/परमिटधारी का नाम एवं वाहन विवरण	मार्ग का नाम एवं प्रस्तावित समयचक्र	आपत्तिकर्ता	रिमार्क															
1	4669ए/एसटीए/17 दिनांक 12.09.2017	श्री विपुल यादव पुत्र श्री जगदीश यादव टीकमगढ़ म.प्र. वाहन क्र. यूपी 93 टी 6722 बै. क्ष. 50+2 मॉ. 2011	टीकमगढ़ से मऊरानीपुर व्हाया बाबरी, वर्मा, दिगोड़ा, लिथोरा, सतगांव, मौहारा, जतारा, खरगुपुरा तिगेला, प्रतापपुरा, बम्होरी, कनेरा एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 6372/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.10.17 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="856 873 1388 997"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>08.40</td> <td>टीकमगढ़</td> <td>18.05</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>12.25</td> <td>मऊरानीपुर</td> <td>13.55</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	08.40	टीकमगढ़	18.05	आ.	आ.	12.25	मऊरानीपुर	13.55	प्र.	-	1-म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "क" के सरल क्रमांक 32 पर अंकित होकर 03 परमिट 06 फेरे का प्रावधान है। 2-माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका क्र 8878/2015 श्री पंकज पाण्डे विरुद्ध म.प्र. शासन में यह अंतरिम आदेश पारित किये हैं:-We restrain the respondent State from issuing any new inter-State permit or counter-signing any new inter-State permit without permission from this Court. उक्त आदेश क्रम में विचारार्थ प्रस्तुत।
		स्टेशन																		
प्र.	08.40	टीकमगढ़	18.05	आ.																
आ.	12.25	मऊरानीपुर	13.55	प्र.																
1ए	4705/एसटीए/2018 दिनांक 12.04.2018	श्री एम. आर. मोहितराय पुत्र श्री प्रदीप कुमार राय टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 36 पी 0227 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2014	टीकमगढ़ से मऊरानीपुर व्हाया धजराई, मवाई, मजना, लार, माची, जतारा, खरगुपुरा, मम्होरी, कनारा, एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	-	1-म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "क" के सरल क्रमांक 32 पर अंकित होकर 03 परमिट 06 फेरे															

		प्रस्तुत किये जाने संबंधी अश्वासन दिया गया है ।	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>06.30</td> <td>पन्ना</td> <td>16.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>10.30</td> <td>महोबा</td> <td>12.25</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	06.30	पन्ना	16.15	आ.	आ.	10.30	महोबा	12.25	प्र.		होकर 04 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है । 2- स.क्र. 02 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	06.30	पन्ना	16.15	आ.																
आ.	10.30	महोबा	12.25	प्र.																
2सी	1111/एसटीए/2008 दिनांक 30.06.2008	श्री अलीम खान पुत्र श्री अब्दुल रब खान वार्ड 6 राजनगर छतरपुर म0प्र0 वाहन प्रस्तुत नहीं स्वीकृति उपरांत नवीन वाहन प्रस्तुत किये जाने संबंधी अश्वासन दिया गया है ।	महोबा से पन्ना व्हाया लोढी , खजुराहो, दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार । <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>05.55</td> <td>महोबा</td> <td>15.20</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>10.00</td> <td>पन्ना</td> <td>11.15</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	05.55	महोबा	15.20	आ.	आ.	10.00	पन्ना	11.15	प्र.	—	1-म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "क" के सरल क्रमांक 164 पर अंकित होकर 04 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है । 2- स.क्र. 02 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	05.55	महोबा	15.20	आ.																
आ.	10.00	पन्ना	11.15	प्र.																
2डी	1567/एसटीए/2009 दिनांक 12.01.2009	श्री अरुण कुमार मिश्रा पुत्र गिरर्जा शंकर मिश्रा विद्यधर कॉलोनी खजुराहो छतरपुर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 16 पी 0178 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2008	पन्ना से महोबा व्हाया बमीठा, खजुराहो, राजनगर, लोढी, रंगोली पठा दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार । <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.30</td> <td>पन्ना</td> <td>20.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>12.30</td> <td>महोबा</td> <td>15.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.30	पन्ना	20.30	आ.	आ.	12.30	महोबा	15.30	प्र.	—	1-म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "क" के सरल क्रमांक 164 पर अंकित होकर 04 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है । 2- स.क्र. 02 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	07.30	पन्ना	20.30	आ.																
आ.	12.30	महोबा	15.30	प्र.																
2ई	1620/एसटीए/2009 दिनांक 19.01.2009	श्री कपिल कुमार अहिरवार पुत्र श्री हीरालाल अहिरवार लोहाडीपुरा बिदिशा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एस 6785 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 1998	पन्ना से महोबा व्हाया खजुराहो, दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार । <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>14.00</td> <td>पन्ना</td> <td>11.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>18.00</td> <td>महोबा</td> <td>07.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	14.00	पन्ना	11.30	आ.	आ.	18.00	महोबा	07.30	प्र.	—	1-म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "क" के सरल क्रमांक 164 पर अंकित होकर 04 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है । 2- स.क्र. 02 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	14.00	पन्ना	11.30	आ.																
आ.	18.00	महोबा	07.30	प्र.																
2एफ	3361/एसटीए/2012 दिनांक 08.06.2012	श्रीमती शारदा मिश्रा पत्नी श्री अरुण कुमार मिश्रा खजुराहो राजनगर छतरपुर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 16 पी 0972 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	पन्ना से महोबा व्हाया बमीठा, खजुराहो, राजनगर, लोढी दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार । <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.30</td> <td>महोबा</td> <td>17.05</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>11.50</td> <td>पन्ना</td> <td>14.15</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.30	महोबा	17.05	आ.	आ.	11.50	पन्ना	14.15	प्र.	—	1-म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "क" के सरल क्रमांक 164 पर अंकित होकर 04 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है ।
		स्टेशन																		
प्र.	07.30	महोबा	17.05	आ.																
आ.	11.50	पन्ना	14.15	प्र.																

					2- स.क्र. 02 में उल्लेखित टीप अनुसार															
2जी	4476/एसटीए/2015 दिनांक 18.08.2015	श्री देवराज बागरी पुत्र श्री जुगल किशोर बागरी लाईन नं. 05 राजेन्द्रनगर सतना म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 19 पी 0863 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2014	पन्ना से महोबा व्हाया खजुराहो, राजनगर, लोढी दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>17.10</td> <td>पन्ना</td> <td>09.25</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>21.30</td> <td>महोबा</td> <td>05.15</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	17.10	पन्ना	09.25	आ.	आ.	21.30	महोबा	05.15	प्र.	—	1-म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "क" के सरल क्रमांक 164 पर अंकित होकर 04 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है। 2- स.क्र. 02 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	17.10	पन्ना	09.25	आ.																
आ.	21.30	महोबा	05.15	प्र.																
3	4576/एसटीए/2016 दिनांक 26.10.2016	श्री रामनरेश गोस्वामी पुत्र स्व. श्री राम किशोर गोस्वामी पुरानी नजाई टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 36 पी 0180 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2010	प्रतापपुरा ओरछा तिगेला से झॉसी व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 565/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.01.18 के अनुक्रम में विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>10.12</td> <td>प्रतापपुरा ओरछा ति.</td> <td>14.38</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>10.25</td> <td>झॉसी</td> <td>14.20</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	10.12	प्रतापपुरा ओरछा ति.	14.38	आ.	आ.	10.25	झॉसी	14.20	प्र.	—	1-फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2-माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका क्र 8878/2015 श्री पंकज पाण्डे विरुद्ध म.प्र. शासन में यह अंतरिम आदेश पारित किये हैं:—We restrain the respondent State from issuing any new inter-State permit or counter-signing any new inter-State permit without permission from this Court. उक्त आदेश क्रम में विचारार्थ प्रस्तुत।
		स्टेशन																		
प्र.	10.12	प्रतापपुरा ओरछा ति.	14.38	आ.																
आ.	10.25	झॉसी	14.20	प्र.																
3 ए	4635/एसटीए/2016 दिनांक 29.12.2016	श्री अनीस अहमद पुत्र मुनीर अहमद टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 22 पी 0141 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2008	प्रतापपुरा ओरछा तिगेला से झॉसी व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 565/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.01.18 के अनुक्रम में विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>23.16</td> <td>प्रतापपुरा ओरछा ति.</td> <td>03.59</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>23.25</td> <td>झॉसी</td> <td>03.50</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	23.16	प्रतापपुरा ओरछा ति.	03.59	आ.	आ.	23.25	झॉसी	03.50	प्र.	—	1-फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2- स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	23.16	प्रतापपुरा ओरछा ति.	03.59	आ.																
आ.	23.25	झॉसी	03.50	प्र.																

3 बी	1871/एसटीए/2009 दिनांक 19.05.2009	श्री संदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद गुप्ता टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 36 पी 0103 बै.क्ष. 38+2 मॉ. 2005	प्रतापपुरा ओरछा तिगेला से झॉसी व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>स्टेशन</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्र.</td> <td>14.12</td> <td>प्रतापपुरा ओरछा ति.</td> <td>17.32</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.25</td> <td>झॉसी</td> <td>17.20</td> <td>प्र.</td> </tr> </tbody> </table>			स्टेशन			प्र.	14.12	प्रतापपुरा ओरछा ति.	17.32	आ.	आ.	14.25	झॉसी	17.20	प्र.	—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	14.12	प्रतापपुरा ओरछा ति.	17.32	आ.																
आ.	14.25	झॉसी	17.20	प्र.																
3 सी	1873/एसटीए/2009 दिनांक 19.05.2009	श्री संदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद गुप्ता टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 36 पी 0103 बै.क्ष. 38+2 मॉ. 2005	प्रतापपुरा ओरछा तिगेला से झॉसी व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>स्टेशन</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्र.</td> <td>15.10</td> <td>झॉसी</td> <td>12.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>15.20</td> <td>प्रतापपुरा ओरछा ति.</td> <td>11.55</td> <td>प्र.</td> </tr> </tbody> </table>			स्टेशन			प्र.	15.10	झॉसी	12.15	आ.	आ.	15.20	प्रतापपुरा ओरछा ति.	11.55	प्र.	—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	15.10	झॉसी	12.15	आ.																
आ.	15.20	प्रतापपुरा ओरछा ति.	11.55	प्र.																
3 डी	2353/एसटीए/2010 दिनांक 03.12.2010	श्री शेर सिंह बस सर्विस टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 36 पी 0179 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2010	प्रतापपुरा से झॉसी व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>स्टेशन</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्र.</td> <td>16.53</td> <td>प्रतापपुरा</td> <td>07.12</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>17.05</td> <td>झॉसी</td> <td>07.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </tbody> </table>			स्टेशन			प्र.	16.53	प्रतापपुरा	07.12	आ.	आ.	17.05	झॉसी	07.00	प्र.	—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	16.53	प्रतापपुरा	07.12	आ.																
आ.	17.05	झॉसी	07.00	प्र.																
3 ई	2397/एसटीए/2011 दिनांक 18.03.2011	श्री धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री श्यामलाल अग्रवाल टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 36 एफ 0132 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2002	प्रतापपुरा से झॉसी व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>स्टेशन</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्र.</td> <td>04.45</td> <td>प्रतापपुरा</td> <td>23.52</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>04.57</td> <td>झॉसी</td> <td>23.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </tbody> </table>			स्टेशन			प्र.	04.45	प्रतापपुरा	23.52	आ.	आ.	04.57	झॉसी	23.00	प्र.	—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	04.45	प्रतापपुरा	23.52	आ.																
आ.	04.57	झॉसी	23.00	प्र.																
3एफ	2402/एसटीए/2011 दिनांक 24.03.2011	श्री संदीप गुप्ता पुत्र श्री रमेशचंद गुप्ता टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 36 पी 0103 बै.क्ष. 38+2 मॉ. 2005	प्रतापपुरा से झॉसी व्हाया चार एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>स्टेशन</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्र.</td> <td>08.30</td> <td>प्रतापपुरा</td> <td>11.55</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16.50</td> <td></td> <td>18.30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			स्टेशन			प्र.	08.30	प्रतापपुरा	11.55	आ.		16.50		18.30		—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	08.30	प्रतापपुरा	11.55	आ.																
	16.50		18.30																	

			आ.	08.40 17.00	झॉसी	11.45 18.20	प्र.			
3जी	2403/एसटीए/2011 दिनांक 24.03.2011	श्री संदीप गुप्ता पुत्र श्री रमेशचंद गुप्ता टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 36 पी 0124 बै.क्ष. 38+2 मॉ. 2007	झॉसी से प्रतापपुरा व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।						—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
					स्टेशन					
			प्र.	06.25	झॉसी	16.02	आ.			
			आ.	06.34	प्रतापपुरा	15.52	प्र.			
3एच	3537/एसटीए/2012 दिनांक 07.12.2012	श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री दयाचंद जैन टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 36 एफ 0159 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2004	झॉसी से प्रतापपुरा व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।						—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
					स्टेशन					
			प्र.	08.26	झॉसी	18.48	आ.			
			आ.	08.40	प्रतापपुरा	18.37	प्र.			
3आई	3718/एसटीए/2013 दिनांक 24.12.2013	श्री धीरेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री श्यामलाल अग्रवाल टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 40 एफ 0133 बै.क्ष. 50 मॉ. 2005	प्रतापपुरा से झॉसी व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।						—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
					स्टेशन					
			प्र.	21.23	प्रतापपुरा	05.20	आ.			
			आ.	21.35	झॉसी	05.10	प्र.			
3जे	4564/एसटीए/2016 दिनांक 01.08.2016	श्री संदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद गुप्ता टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 सीजी 07 ई 8612 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2008	प्रतापपुरा ओरछा तिगेला से झॉसी व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।						—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
					स्टेशन					
			प्र.	14.12	प्रतापपुरा ओरछा ति.	17.30	आ.			
			आ.	14.22	झॉसी	17.20	प्र.			
3के	4566/एसटीए/2016 दिनांक 01.08.2016	श्रीमती माधुरी गुप्ता पत्नि श्री संदीप कुमार गुप्ता टीकमगढ़ म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 20 पीए 0472 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2010	झॉसी से प्रतापपुरा ओरछा तिगेला व्हाया दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।						—	1—फ्रीजोन श्रेणी के अन्तर्गत 2— स.क्र. 03 में उल्लेखित टीप अनुसार
					स्टेशन					
			प्र.	15.30	झॉसी	13.25	आ.			
			आ.	15.40	प्रतापपुरा	13.15	प्र.			

5	1455/एसटीए/2008 दिनांक 23.09.2008	श्री अविनाश कुमार जैन पुत्र श्री शीलचन्द्र जैन सागर म0प्र0 वाहन का उल्लेखन नहीं	ललितपुर से सागर व्हाया मालथौन दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 8164/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="852 331 1388 451"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.35</td> <td>ललितपुर</td> <td>17.00</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>12.35</td> <td>सागर</td> <td>14.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.35	ललितपुर	17.00	आ.	आ.	12.35	सागर	14.00	प्र.	—	1—म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "घ" के सरल क्रमांक 95 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है। 2—माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका क्र 8878/2015 श्री पंकज पाण्डे विरुद्ध म.प्र. शासन में यह अंतरिम आदेश पारित किये हैं:—We restrain the respondent State from issuing any new inter-State permit or counter-signing any new inter-State permit without permission from this Court. उक्त आदेश क्रम में विचारार्थ प्रस्तुत।
		स्टेशन																		
प्र.	09.35	ललितपुर	17.00	आ.																
आ.	12.35	सागर	14.00	प्र.																
5ए	1513/एसटीए/2008 दिनांक 12.11.2008	श्री अनूप कुमार जैन पुत्र श्री रज्जन लाल जैन टीकमगढ म0प्र0 वाहन क्र यूपी 94 ए 4483 बै.क्ष. 50+2 माँ 1999	ललितपुर से सागर व्हाया मालथौन दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="852 976 1388 1096"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.30</td> <td>सागर</td> <td>15.00</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>10.40</td> <td>ललितपुर</td> <td>11.35</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.30	सागर	15.00	आ.	आ.	10.40	ललितपुर	11.35	प्र.	—	1—म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "घ" के सरल क्रमांक 95 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है। 2— स.क्र. 05 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	07.30	सागर	15.00	आ.																
आ.	10.40	ललितपुर	11.35	प्र.																
5बी	3891/एसटीए/2014 दिनांक 12.11.2014	श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री शील चन्द्र जैन सागर म0प्र0 वाहन क्र यूपी 17 एच 4052 बै. क्ष. 50+2 माँ 2008	ललितपुर से सागर व्हाया मालथौन दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="852 1289 1388 1409"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>10.45</td> <td>ललितपुर</td> <td>17.05</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>13.45</td> <td>सागर</td> <td>14.05</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	10.45	ललितपुर	17.05	आ.	आ.	13.45	सागर	14.05	प्र.	—	1—म.प्र. एवं उ.प्र. राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "घ" के सरल क्रमांक 95 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है। 2— स.क्र. 05 में उल्लेखित टीप अनुसार
		स्टेशन																		
प्र.	10.45	ललितपुर	17.05	आ.																
आ.	13.45	सागर	14.05	प्र.																

6	4697/एसटीए/2018 दिनांक 16.03.2018	श्री इन्द्रजीत सिंह गिल पुत्र श्री लखवन्त सिंह गिल मण्डला म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 51 पी 0621 बै.क्ष. 35+1 मॉ 2013	रायपुर से मण्डला व्हाया सिमगा, वेमेतारा, कवर्धा, पोडी, वडला, चिलफी, मोतीनाला, सिसोरा, बिछिया, एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 11363/2018 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2018 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="856 407 1388 529"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>10.30</td> <td>रायपुर</td> <td>05.06</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>19.25</td> <td>मण्डला</td> <td>20.20</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	10.30	रायपुर	05.06	आ.	आ.	19.25	मण्डला	20.20	प्र.	—	म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "अ" के सरल क्रमांक 12 होकर 04 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	10.30	रायपुर	05.06	आ.																
आ.	19.25	मण्डला	20.20	प्र.																
6ए	3672/एसटीए/2013 दिनांक 20.08.2013	श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी पुत्र श्री राम सेवक त्रिपाठी सिवनी म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 20 पीए 0394 बै.क्ष. 66+2	मण्डला से रायपुर व्हाया एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। समयचक्र का उल्लेख नहीं।	—	म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "अ" के सरल क्रमांक 12 होकर 04 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।															
6बी	3711/एसटीए/2013 दिनांक 26.10.2013	श्री इन्द्रजीत सिंह गिल पुत्र श्री राम सेवक त्रिपाठी सिवनी म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 51 20 पी 0621 बै.क्ष. 35+1 मॉ 2013	रायपुर से मण्डला व्हाया सिमगा, भीमतारा, कवर्धा, पोहरी, वडला, मोतीनाला, सिखरा, बिछिया, अजनिया, एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="856 959 1388 1081"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>10.35</td> <td>रायपुर</td> <td>05.06</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>19.25</td> <td>मण्डला</td> <td>20.20</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	10.35	रायपुर	05.06	आ.	आ.	19.25	मण्डला	20.20	प्र.	—	म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "अ" के सरल क्रमांक 12 होकर 04 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	10.35	रायपुर	05.06	आ.																
आ.	19.25	मण्डला	20.20	प्र.																
7	4537/एसटीए/2016 दिनांक 05.02.2016	श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह शाजापुर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 42 पी 0232 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2013	भानपुरा से उज्जैन व्हाया गरोट, बोलिया, पगारिया, डग, बड़ौद, आगर, घौसा, एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 3747/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.06.17 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="856 1317 1388 1438"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>05.30</td> <td>भानपुरा</td> <td>17.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>11.20</td> <td>उज्जैन</td> <td>11.35</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	05.30	भानपुरा	17.30	आ.	आ.	11.20	उज्जैन	11.35	प्र.	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 92 पर अंकित होकर 01 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	05.30	भानपुरा	17.30	आ.																
आ.	11.20	उज्जैन	11.35	प्र.																

7ए	3713/एसटीए/2013 दिनांक 04.12.2013	श्री गजेन्द्र सिंह परिहार पुत्र श्री भेरू सिंह जी मंदसौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 14 पी 0446 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2012	भानपुरा से उज्जैन व्हाया गरोठ, बोलिया, पगारिया, डग, बड़ौद, आगर, घौसा, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>06.15</td> <td>भानपुरा</td> <td>21.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>11.00</td> <td>आगर</td> <td>16.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	06.15	भानपुरा	21.30	आ.	आ.	11.00	आगर	16.30	प्र.	नोट-आवेदक द्वारा आवेदन मार्ग भानपुरा से उज्जैन के लिये प्रस्तु किया है। किन्तु समयचक्र भानपुरा से आगर तक के ही प्रस्तावित किये गये है। इस प्रकार आवेदन अपूर्ण है।	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 92 पर अंकित होकर 01 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	06.15	भानपुरा	21.30	आ.																
आ.	11.00	आगर	16.30	प्र.																
8	1924/एसटीए/2009 दिनांक 26.06.2009	श्री दिलीप बांगा पुत्र श्री स्व. श्री लालचंदजी बांगा नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 44 एफ 0133 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2005	नीमच से उदयपुर व्हाया निम्बाहेड़ा, सांवराजी, मंगालवाड एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 2626/2017 में पारित आदेश दिनांक 24.04.17 के अनुक्रम में विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.50</td> <td>नीमच</td> <td>19.10</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>13.40</td> <td>उदयपुर</td> <td>15.25</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.50	नीमच	19.10	आ.	आ.	13.40	उदयपुर	15.25	प्र.	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	09.50	नीमच	19.10	आ.																
आ.	13.40	उदयपुर	15.25	प्र.																
8ए	1086/एसटीए/2008 दिनांक 12.06.2008	श्री मदनलाल छावड़ा पुत्र स्व. श्री गणेशदासजी नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 44 एफ 0141 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2005	नीमच से उदयपुर व्हाया छोटीसादड़ी, निम्बाहेड़ा, सावरियाजी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.00</td> <td>नीमच</td> <td>20.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>11.15</td> <td>उदयपुर</td> <td>16.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.00	नीमच	20.15	आ.	आ.	11.15	उदयपुर	16.00	प्र.	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	07.00	नीमच	20.15	आ.																
आ.	11.15	उदयपुर	16.00	प्र.																
8बी	1089/एसटीए/2008 दिनांक 12.06.2008	श्री मदनलाल छावड़ा पुत्र स्व. श्री गणेशदासजी छावड़ा नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 44 एफ 0140 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2005	नीमच से उदयपुर व्हाया छोटीसादड़ी, निम्बाहेड़ा, सावरियाजी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.00</td> <td>नीमच</td> <td>20.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>11.15</td> <td>उदयपुर</td> <td>16.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.00	नीमच	20.15	आ.	आ.	11.15	उदयपुर	16.00	प्र.	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	07.00	नीमच	20.15	आ.																
आ.	11.15	उदयपुर	16.00	प्र.																

8सी	1133/एसटीए/2008 दिनांक 17.06.2008	श्री दिलीप बांगा पुत्र स्व. श्री लालचंद बांगा नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 44 एफ 0133 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2005	नीमच से उदयपुर व्हाया छोटीसादड़ी, निम्बाहेड़ा, सावरियाजी एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। नोट :-विचाराधीन उक्त आवेदन, में उल्लेखित मार्ग उदयपुर से नीमच के स्थाई परमिट के आवेदन पत्र में एक वापिसी फेरा लिखा गया है। इसके स्थान पर एक सिंगल फेरा प्रतिदिन संशोधित करने बाबत निवेदन किया गया है।	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>10.30</td> <td>नीमच</td> <td>19.45</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.20</td> <td>उदयपुर</td> <td>16.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	10.30	नीमच	19.45	आ.	आ.	14.20	उदयपुर	16.00	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	10.30	नीमच	19.45	आ.																
आ.	14.20	उदयपुर	16.00	प्र.																
8डी	3800/एसटीए/2014 दिनांक 16.06.2014	श्रीमती गीतादेवी बाहेती पत्नि श्री कैलाशचंद्रजी मंदसौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 14 एबी 0459 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2013	नीमच से उदयपुर व्हाया निम्बाहेड़ा, सावरियाजी, मंगलवाड एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.50</td> <td>नीमच</td> <td>19.45</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>13.40</td> <td>उदयपुर</td> <td>15.50</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.50	नीमच	19.45	आ.	आ.	13.40	उदयपुर	15.50	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	09.50	नीमच	19.45	आ.																
आ.	13.40	उदयपुर	15.50	प्र.																
8ई	3801/एसटीए/2014 दिनांक 16.06.2014	श्रीमती गीतादेवी बाहेती पत्नि श्री कैलाशचंद्रजी मंदसौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 14 एबी 0459 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2013	नीमच से उदयपुर व्हाया निम्बाहेड़ा, सावरियाजी, मंगलवाड एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.50</td> <td>नीमच</td> <td>19.45</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>13.40</td> <td>उदयपुर</td> <td>15.50</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.50	नीमच	19.45	आ.	आ.	13.40	उदयपुर	15.50	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	09.50	नीमच	19.45	आ.																
आ.	13.40	उदयपुर	15.50	प्र.																
9	4661/एसटीए/2017 दिनांक 24.05.2017	श्री करण यादव पुत्र श्री बालकिशन यादव उज्जैन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 13 पी 4333 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	उज्जैन से गलियाकोट व्हाया बदनागर, बदनावर, रतलाम, सेलाना, दानपुर, बांसवाड़ा, प्रतापपुर, सगवाड़ा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 20257/2017 में पारित आदेश दिनांक 24.11.17 के अनुक्रम में विचार।	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 63 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															

				स्टेशन					
			प्र.	07.26	उज्जैन	15.33	आ.		
			आ.	16.00	गलियाकोट	08.16	प्र.		
9ए	4662/एसटीए/2017 दिनांक 24.05.2017	श्री कुणाल यादव पुत्र श्री बालकिशन यादव उज्जैन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 13 पी 5333 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	उज्जैन से गलियाकोट व्हाया बदनागर, बदनावर, रतलाम, सेलाना, दानपुर, बांसवाड़ा, प्रतापपुर,सगवाड़ा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 63 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
			प्र.	07.26	उज्जैन	15.33	आ.		
			आ.	16.00	गलियाकोट	08.16	प्र.		
10	4687/एसटीए/2018 दिनांक 22.01.2018	श्री मनोज छाबडा पुत्र श्री रमेश चन्द्र छाबडा नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 आरजे 09 पीबी 0951 बै.क्ष. 50+2 मॉ.	कोटा से रतलाम व्हाया रावतभाटा, गांधीसागर, रामपुरा, मंदसौर, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 1151/18 में पारित आदेश दि. 16.01.18 के अनुक्रम में विचार।					—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 187 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
			प्र.	15.30	कोटा	11.30	आ.		
			आ.	00.02	रतलाम	02.00	प्र.		
10ए	4688/एसटीए/2018 दिनांक 22.01.2018	श्री मनोज छाबडा पुत्र श्री रमेश चन्द्र छाबडा मंदसौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 14 पीए 0351 बै.क्ष. 50+2 मॉ.	कोटा से रतलाम व्हाया रावतभाटा, गांधीसागर, रामपुरा, मंदसौर, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 187 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
			प्र.	15.30	कोटा	11.30	आ.		
			आ.	00.02	रतलाम	02.00	प्र.		
10बी	1129/एसटीए/2008 दिनांक 17.06.08	श्री दिलीप बांगा पुत्र श्री लालचन्द, नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 44 एफ 0124 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2004	कोटा से रतलाम व्हाया गांधीसागर, रामपुरा, मंदसौर, जावरा, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 187 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
			प्र.				आ.		
			आ.				प्र.		

10सी	2733/एसटीए/2011 दिनांक 25.08.11	श्री रमेश चन्द्र चाबडा पुत्र श्री गणेश दास जी, मंदसौर म0प्र0 वाहन क्र0 आरजे 20 पीए 0711 बै.क्ष. 40+2 मॉ. 2006	रतलाम से कोटा व्हाया जौराफटक, जोरा, मदसौर पिपलिया, नारायणगंज, मनसर, रामपुरा, गांधीसागर, रावतभाटा, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>स्टेशन</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>प्र.</td><td>05.50</td><td>रतलाम</td><td>00.30</td><td>आ.</td></tr><tr><td>आ.</td><td>15.15</td><td>कोटा</td><td>16.45</td><td>प्र.</td></tr></tbody></table>			स्टेशन			प्र.	05.50	रतलाम	00.30	आ.	आ.	15.15	कोटा	16.45	प्र.	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 187 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	05.50	रतलाम	00.30	आ.																
आ.	15.15	कोटा	16.45	प्र.																
10डी	2735/एसटीए/2011 दिनांक 25.08.11	श्री रमेश चन्द्र चाबडा पुत्र श्री गणेश दास जी, मंदसौर म0प्र0 वाहन क्र0 आरजे 20 पीए 0711 बै.क्ष. 40+2 मॉ. 2006	रतलाम से कोटा व्हाया जौराफटक, जोरा, मदसौर पिपलिया, नारायणगंज, मनसर, रामपुरा, गांधीसागर, रावतभाटा, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>स्टेशन</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>प्र.</td><td>05.50</td><td>रतलाम</td><td>00.30</td><td>आ.</td></tr><tr><td>आ.</td><td>15.15</td><td>कोटा</td><td>16.45</td><td>प्र.</td></tr></tbody></table>			स्टेशन			प्र.	05.50	रतलाम	00.30	आ.	आ.	15.15	कोटा	16.45	प्र.	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 187 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	05.50	रतलाम	00.30	आ.																
आ.	15.15	कोटा	16.45	प्र.																
10ई	1128/एसटीए/2008 दिनांक 17.06.08	श्री दिलीप बांगा पुत्र श्री लालचन्द, नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 44 एफ 0011 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2000	कोटा से रतलाम व्हाया गांधीसागर, रामपुरा, मंदसौर, जावरा, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>स्टेशन</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>प्र.</td><td>11.30</td><td>कोटा</td><td>17.20</td><td>आ.</td></tr><tr><td>आ.</td><td>20.40</td><td>रतलाम</td><td>08.10</td><td>प्र.</td></tr></tbody></table>			स्टेशन			प्र.	11.30	कोटा	17.20	आ.	आ.	20.40	रतलाम	08.10	प्र.	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 187 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	11.30	कोटा	17.20	आ.																
आ.	20.40	रतलाम	08.10	प्र.																
10एफ	2637/एसटीए/2011 दिनांक 11.08.11	श्री यूनस अली पुत्र श्री मसूक अली नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 44 पी 1055 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	कोटा से रतलाम व्हाया रावतफाटा, गांधीसागर, रामपुरा, मनसर, पिपलियामण्डी, मंदसौर, जावरा, एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>स्टेशन</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>प्र.</td><td>11.30</td><td>कोटा</td><td>15.30</td><td>आ.</td></tr><tr><td>आ.</td><td>21.00</td><td>रतलाम</td><td>06.00</td><td>प्र.</td></tr></tbody></table>			स्टेशन			प्र.	11.30	कोटा	15.30	आ.	आ.	21.00	रतलाम	06.00	प्र.	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 187 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	11.30	कोटा	15.30	आ.																
आ.	21.00	रतलाम	06.00	प्र.																
10जी	2638/एसटीए/2011 दिनांक 11.08.11	श्री यूनस अली पुत्र श्री मसूक अली नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 44 पी 1055 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	कोटा से रतलाम व्हाया रावतफाटा, गांधीसागर, रामपुरा, मनसर, पिपलियामण्डी, मंदसौर, जावरा, एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 187 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे															

					स्टेशन				का प्रावधान है।	
			प्र.	11.30	कोटा	15.30	आ.			
			आ.	21.00	रतलाम	06.00	प्र.			
11	4532/एसटीए/2016 दिनांक 27.01.16	श्री मनोज छावड़ा पुत्र श्री रमेशचंद छावड़ा नीमच म0प्र0 वाहन क्र0 आरजे 09 पीबी 0351 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	बांसवाड़ा से कोटा व्हाया प्रतापगढ़, नीमच, मनासा, रावतभाटा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 1127/2018 में पारित आदेश दिनांक 31.01.18 के अनुक्रम में विचार।						—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख के सरल क्रमांक 13 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन					
			प्र.	04.30	बांसवाड़ा	23.55	आ.			
			आ.	15.00	कोटा	13.45	प्र.			
11ए	4534/एसटीए/2016 दिनांक 27.01.16	श्री मनोज छावड़ा पुत्र श्री रमेशचंद छावड़ा मंदसौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 14 पीए 0351 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	बांसवाड़ा से कोटा व्हाया प्रतापगढ़, नीमच, मनासा, रावतभाटा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।						—	म.प्र. एवं राजस्थान राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख के सरल क्रमांक 13 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन					
			प्र.	04.30	बांसवाड़ा	23.55	आ.			
			आ.	15.00	कोटा	13.45	प्र.			
12	2440/एसटीए/2011 दिनांक 08.06.2011	श्री मनोज मालवीय पुत्र श्री प्यारे लाल मालवीय भगत सिंह वार्ड बेतूल रोड बस स्टैण्ड मुल्ताई, जिला बेतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 1177 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	बेतूल से नागपुर व्हाया मुल्ताई, पाण्डुना, सावनेर, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 1911/2017 में पारित आदेश दिनांक 24.04.17 के अनुक्रम में विचार।						—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन					
			प्र.	09.45	बेतूल	21.15	आ.			
			आ.	15.00	नागपुर	16.00	प्र.			
12ए	1531/एसटीए/08 दिनांक 25.11.08	श्री फिरोज खान पुत्र श्री नूर अहमद खान महावीर वार्ड मुल्ताई, जिला बेतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमएच 31 डब्ल्यू 5754 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 1998	बेतूल से नागपुर व्हाया पंखा, मुल्ताई, पाण्डुना, बड़चिचोली, सावनेर, पाटनसावंगी, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।						—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।

				स्टेशन					
			प्र.	06.05	बेतूल	19.15	आ.		
			आ.	11.45	नागपुर	13.30	प्र.		
12बी	1532/एसटीए/08 दिनांक 25.11.08	श्री शमीम खान पुत्र श्री नूर अहमद खान महावीर वार्ड मुल्ताई, जिला बेतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 0687 बै.क्ष. 38+2 मॉ. 2005	बेतूल से नागपुर व्हाया पंखा, मुल्ताई, पाण्डुना, बड़चिचोली, सावनेर, पाटनसावंगी, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	07.20	बेतूल	21.25	आ.		
			आ.	12.55	नागपुर	15.50	प्र.		
12सी	1537/एसटीए/08 दिनांक 19.12.08	श्री सेवकराम लहानुजी गजभिये पुत्र श्री लहानुजी लालमनजी गजभिये ग्राम बडा चिचोली मकान निवास व कार्यालय पाण्डुना जिला छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 0170 बै.क्ष. 47+2 मॉ. 2008	बेतूल से नागपुर व्हाया मुल्ताई, पाण्डुना, चिचोली, सोंसर एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	06.00	बेतूल	21.00	आ.		
			आ.	11.00	नागपुर	16.00	प्र.		
12डी	2193/एसटीए/2010 दिनांक 25.06.2010	श्रीमती सलमा खान पत्नि श्री फिरोज खान महावीर वार्ड जिला बेतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 1191 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2009	बेतूल से नागपुर व्हाया मुल्ताई, पाण्डुना, सावनेर, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	07.20	बेतूल	19.30	आ.		
			आ.	12.50	नागपुर	14.00	प्र.		
12ई	2199/एसटीए/2010 दिनांक 14.07.2010	श्री विजय कुमार शुक्ला पुत्र श्री केशव प्रसाद शुक्ला मुल्ताई, जिला बेतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 0167 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2009	बेतूल से नागपुर व्हाया मुल्ताई, पाण्डुना, सावनेर, पाटनसावंगी, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	16.20	बेतूल	15.05	आ.		
			आ.	21.50	नागपुर	10.15	प्र.		
12एफ	3617/एसटीए/13 दिनांक 12.03.13	श्रीमती अल्का बागद्रे पत्नि श्री शरद बागद्रे, कोठी बाजार जिला बेतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 1050	बेतूल से नागपुर व्हाया मुल्ताई, पाण्डुना, सावनेर, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित

		बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2010			स्टेशन						होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।
			प्र.	07.20	बेतूल	19.30	आ.				
			आ.	12.50	नागपुर	14.00	प्र.				
12जी	4451/एसटीए/15 दिनांक 04.07.15	श्री सैय्यद साजिद अली पुत्र श्री हाजी सैय्यद माजिद अली जाकिर हुसैन वार्ड जिला बेतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 0332 बै.क्ष. 51+1 मॉ. 2014	बेतूल से नागपुर व्हाया मुल्ताई, पाण्डुना, सावनेर, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।		स्टेशन					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन						
			प्र.	09.45	बेतूल	20.15	आ.				
			आ.	15.00	नागपुर	16.00	प्र.				
12एच	4572/एसटीए/16 दिनांक 24.10.16	मैसर्स डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रो0 यमूताई बागद्रे बस स्टेण्ड कोठी बाजार बेतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 0443 बै.क्ष. 51+1 मॉ. 2016	बेतूल से नागपुर व्हाया मुल्ताई, पाण्डुना, सावनेर, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।		स्टेशन					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन						
			प्र.	09.45	बेतूल	21.15	आ.				
			आ.	15.00	नागपुर	16.00	प्र.				
12आई	4660/एसटीए/17 दिनांक 16.05.17	श्री विजय शुक्ला पुत्र श्री केशव प्रसाद गुरु शाह वार्ड मुल्ताई जिला बेतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 1167 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	बेतूल से नागपुर व्हाया मुल्ताई, पाण्डुना, सावनेर, एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।		स्टेशन					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 17 पर अंकित होकर 05 परमिट 10 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन						
			प्र.	16.15	बेतूल	15.05	आ.				
			आ.	21.40	नागपुर	10.15	प्र.				
13	3881/एसटीए/14 दिनांक 08.07.14	श्री अमरीश शुक्ला पुत्र श्री रामलाल शुक्ला नियर संतोषी माता मंदिर छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 1540 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2014	पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, डेलाखरी, तमिया, परासिया, छिंदवाड़ा, उमरानाला, रामाकोना, सोंसर, केलवार, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 3739/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.06.17 के अनुक्रम में विचार।		स्टेशन					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन						
			प्र.	14.00	पचमढी	16.00	आ.				
			आ.	23.10	नागपुर	07.40	प्र.				

13ए	2168/एसटीए/10 दिनांक 09.03.10	श्री अब्दुल माजिद खान पुत्र श्री हबीब खान छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 ए 2061 बै.क्ष. 35+2 डीलक्स मॉ. 2003	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया छिंदवाड़ा दो एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>15.00</td> <td>पचमढी</td> <td>14.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>22.30</td> <td>नागपुर</td> <td>06.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	15.00	पचमढी	14.15	आ.	आ.	22.30	नागपुर	06.00	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	15.00	पचमढी	14.15	आ.																
आ.	22.30	नागपुर	06.00	प्र.																
13बी	3095/एसटीए/12 दिनांक 03.01.12	श्री विनीत कुमार भिंगलानी पुत्र श्री एस.एस.भिंगलानी ओल्ड नर्सिंगपुर नाका छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 जीजे 10 डब्ल्यू 9680 बै.क्ष. 52+2 मॉ. 2007	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, डेलाखेरी, तमिया, परासिया, छिंदवाड़ा, उमरानाला, सोंसर, पराड़सिंगा, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>11.20</td> <td>पचमढी</td> <td>02.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>19.40</td> <td>नागपुर</td> <td>18.10</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	11.20	पचमढी	02.30	आ.	आ.	19.40	नागपुर	18.10	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	11.20	पचमढी	02.30	आ.																
आ.	19.40	नागपुर	18.10	प्र.																
13सी	3096/एसटीए/12 दिनांक 03.01.12	श्री विनीत कुमार भिंगलानी पुत्र श्री एस.एस.भिंगलानी लालबाग रोड छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 जीजे 1 एजेड 9894 बै.क्ष. 52+2 मॉ. 2007	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, डेलाखेरी, तमिया, परासिया, छिंदवाड़ा, उमरानाला, सोंसर, पराड़सिंगा, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>14.15</td> <td>पचमढी</td> <td>17.40</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>23.55</td> <td>नागपुर</td> <td>07.40</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	14.15	पचमढी	17.40	आ.	आ.	23.55	नागपुर	07.40	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	14.15	पचमढी	17.40	आ.																
आ.	23.55	नागपुर	07.40	प्र.																
13डी	3691/एसटीए/13 दिनांक 31.08.13	श्री अशोक सूर्यवंशी पुत्र श्री विजय सूर्यवंशी छोटातालाब छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 0639 बै.क्ष. 52+2 मॉ. 2011	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, तमिया, परासिया, छिंदवाड़ा, उमरानाला, सोंसर, सावनेर एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>06.45</td> <td>पचमढी</td> <td>22.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.15</td> <td>नागपुर</td> <td>14.45</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	06.45	पचमढी	22.15	आ.	आ.	14.15	नागपुर	14.45	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	06.45	पचमढी	22.15	आ.																
आ.	14.15	नागपुर	14.45	प्र.																
13ई	3883/एसटीए/14 दिनांक 11.07.14	श्री अमरीश शुक्ला पुत्र श्री आर0एल0शुक्ला शनिचरा बाजार छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 2440	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, तमिया, परासिया, छिंदवाड़ा, सोंसर, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित															

		बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2013			स्टेशन						होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।		
			प्र.	15.00	पचमढी	13.30	आ.						
			आ.	22.30	नागपुर	05.45	प्र.						
13एफ	4394/एसटीए/15 दिनांक 26.02.15	श्री नीरज रघुवंशी पुत्र श्री घालन सिंह रघुवंशी छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 0413 बै.क्ष. 51+1 मॉ. 2014	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, तमिया, परासिया, छिंदवाड़ा, सोंसर, सावनेर एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।									—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन								
			प्र.	15.00	पचमढी	13.30	आ.						
			आ.	22.30	नागपुर	05.45	प्र.						
13जी	4400/एसटीए/15 दिनांक 26.02.15	श्री जसपाल सिंह नैय्यर पुत्र श्री सुरजीत सिंह नैय्यर ओल्ड नर्सिंगपुर नाका छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 1014 बै.क्ष. 30+1+10 डीलक्स मॉ. 2014	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, डेलाखेरी, तमिया, परासिया, छिंदवाड़ा, उमरानाला, रामाकोना, सोंसर, केलवाड़, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।									—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन								
			प्र.	14.00	पचमढी	16.00	आ.						
			आ.	23.10	नागपुर	07.40	प्र.						
13एच	4554/एसटीए/16 दिनांक 23.06.16	श्री नरेन्द्र वर्मा पुत्र श्री गेंदालाल एस. वर्मा सरस्वती वार्ड रामबाग छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 0522 बै.क्ष. 36+2 मॉ. 2015 डीलक्स	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया तमिया, छिंदवाड़ा, सोंसर, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।									—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन								
			प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.						
			आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.						
13आई	4675बी/एसटीए/16 दिनांक 05.01.18	श्री नीरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री घनश्याम सिंह चौहान अमडा पाण्डुरना छिन्दवाडा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 6699 बै.क्ष. 51+2 मॉ. 2016	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, दीलाखेडी तमिया, परासिया, छिन्दवाडा, उमरनाला, रामाकोना, सोसर, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।									—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन								
			प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.						
			आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.						

13जे	4680ए/एसटीए/16 दिनांक 06.01.18	श्री मोहसीन खान पुत्र श्री जहीर खान, छिन्दवाडा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 0778 बै.क्ष. 51+2 मॉ. 2017	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, दीलाखेडी तमिया, परासिया, छिन्दवाडा, उमरनाला, रामाकोना, सोसर, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="856 332 1388 451"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>04.45</td> <td>पचमढी</td> <td>22.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.00</td> <td>नागपुर</td> <td>13.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.	आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.																
आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.																
13के	4682/एसटीए/18 दिनांक 11.01.18	श्रीमती रीना चाचडा पत्नी स्व श्री हरीश चाचडा, छिन्दवाडा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 0283 बै.क्ष. 56+2 मॉ. 2012	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, दीलाखेडी तमिया, परासिया, छिन्दवाडा, उमरनाला, रामाकोना, सोसर, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="856 657 1388 776"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>04.45</td> <td>पचमढी</td> <td>22.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.00</td> <td>नागपुर</td> <td>13.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.	आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.																
आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.																
13एल	4683/एसटीए/18 दिनांक 11.01.18	श्री विनीत कुमार मिगलानी पुत्र श्री श्याम सुन्दर मिगलानी, छिन्दवाडा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 0424 बै.क्ष. 52+2 मॉ. 2014	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, दीलाखेडी तमिया, परासिया, छिन्दवाडा, उमरनाला, रामाकोना, सोसर, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="856 974 1388 1092"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>04.45</td> <td>पचमढी</td> <td>22.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.00</td> <td>नागपुर</td> <td>13.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.	आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.																
आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.																
13एम	4684/एसटीए/18 दिनांक 22.01.18	श्री अशोक सूर्यवंशी पुत्र श्री विजय सूर्यवंशी, छिन्दवाडा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 0639 बै.क्ष. 52+2 मॉ. 2011	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, तमिया, परासिया, छिन्दवाडा, उमरनाला, सोसर, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="856 1255 1388 1373"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>06.45</td> <td>पचमढी</td> <td>22.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.15</td> <td>नागपुर</td> <td>14.45</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	06.45	पचमढी	22.15	आ.	आ.	14.15	नागपुर	14.45	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	06.45	पचमढी	22.15	आ.																
आ.	14.15	नागपुर	14.45	प्र.																
13एन	4685/एसटीए/18 दिनांक 22.01.18	श्री नाजीम खान पुत्र श्री जहीर खान छिन्दवाडा म0प्र0	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, दीलाखेडी तमिया, परासिया, छिन्दवाडा, उमरनाला, रामाकोना,	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के															

		वाहन क्र० एमपी 28 पी 0878 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2016	सोसर, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="850 251 1386 373"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>04.45</td> <td>पचमढी</td> <td>22.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.00</td> <td>नागपुर</td> <td>13.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.	आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.		उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	04.45	पचमढी	22.15	आ.																
आ.	14.00	नागपुर	13.00	प्र.																
13ओ	4612/एसटीए/18 दिनांक 10.05.18	श्री अशोक सूर्यवंशी पुत्र विजय सूर्यवंशी छिन्दवाडा म०प्र० वाहन क्र० एमपी 28 पी 0653 बै.क्ष. 51+2 मॉ. 2017	मार्ग पचमढी से नागपुर व्हाया मटकुली, तमिया, परासिया, छिन्दवाडा, उमरनाला, सोसर, सावनेर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="850 527 1386 649"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>06.45</td> <td>पचमढी</td> <td>22.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.15</td> <td>नागपुर</td> <td>14.45</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	06.45	पचमढी	22.15	आ.	आ.	14.15	नागपुर	14.45	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 41 पर अंकित होकर 03 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	06.45	पचमढी	22.15	आ.																
आ.	14.15	नागपुर	14.45	प्र.																
14	3878/एसटीए/2014 दिनांक 08.07.2014	श्री अमरीश शुक्ला पुत्र श्री रामलाल शुक्ला छिंदवाडा म०प्र० वाहन क्र० एमपी 28 पी 1540 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2014	पिपरिया से नागपुर व्हाया छिंदवाडा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा के याचिका क्र. 3749/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.06.17 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="850 885 1386 1006"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>11.00</td> <td>पिपरिया</td> <td>14.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>19.20</td> <td>नागपुर</td> <td>06.45</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	11.00	पिपरिया	14.30	आ.	आ.	19.20	नागपुर	06.45	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 53 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	11.00	पिपरिया	14.30	आ.																
आ.	19.20	नागपुर	06.45	प्र.																
14ए	1339/एसटीए/2008 दिनांक 06.08.2008	श्री सुरेश पाण्डे पुत्र श्री रघुवर प्रसाद पाण्डे छिंदवाडा म०प्र० वाहन क्र० एमपी 33 ई 0119 बै.क्ष. 30+2 मॉ. 2004	पिपरिया से नागपुर व्हाया छिंदवाडा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। समयचक्र प्रस्तुत नहीं	नोट-समय चक्र प्रस्तुत नहीं	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 53 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															
14बी	1340/एसटीए/2008 दिनांक 06.08.2008	श्री अजीत पटेल पुत्र श्री मुरलीधर पटेल छिंदवाडा म०प्र० वाहन क्र० जीजे 02 व्ही 9675 बै.क्ष. 32+2 मॉ. 2002	पिपरिया से नागपुर व्हाया छिंदवाडा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। समयचक्र प्रस्तुत नहीं	नोट-समय चक्र प्रस्तुत नहीं	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 53 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															

14सी	4397/एसटीए/2015 दिनांक 26.02.2015	श्री जसपाल सिंह नैय्यर पुत्र श्री सुरजीत सिंह नैय्यर छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 1013 बै.क्ष. 30+1 डीलक्स मॉ. 2014	नागपुर से पिपरिया व्हाया सोंसर, छिंदवाड़ा, तमिया एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.15</td> <td>नागपुर</td> <td>14.45</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>15.00</td> <td>पिपरिया</td> <td>07.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.15	नागपुर	14.45	आ.	आ.	15.00	पिपरिया	07.00	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 53 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	07.15	नागपुर	14.45	आ.																
आ.	15.00	पिपरिया	07.00	प्र.																
14डी	4516/एसटीए/2015 दिनांक 07.11.2015	श्रीमती कशमा शुक्ला पत्नि श्री अमरीश शुक्ला छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 5140 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	नागपुर से पिपरिया व्हाया छिंदवाड़ा एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>06.50</td> <td>नागपुर</td> <td>19.20</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>14.35</td> <td>पिपरिया</td> <td>11.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	06.50	नागपुर	19.20	आ.	आ.	14.35	पिपरिया	11.00	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 53 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	06.50	नागपुर	19.20	आ.																
आ.	14.35	पिपरिया	11.00	प्र.																
14 ई	4681/एसटीए/2018 दिनांक 11.01.18	श्री सुरेश प्रसाद पाण्डे पुत्र श्री रघुवर प्रसाद पाण्डे छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 50 पी 0797 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	पिपरिया से नागपुर व्हाया छिंदवाड़ा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>11.00</td> <td>पिपरिया</td> <td>15.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>19.30</td> <td>नागपुर</td> <td>06.45</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	11.00	पिपरिया	15.15	आ.	आ.	19.30	नागपुर	06.45	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 53 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	11.00	पिपरिया	15.15	आ.																
आ.	19.30	नागपुर	06.45	प्र.																
14एफ	4686/एसटीए/2018 दिनांक 22.01.18	श्री अजीत पटेल पुत्र श्री मुरलीधर पटेल छिंदवाड़ा म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 28 पी 0504 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	पिपरिया से नागपुर व्हाया छिंदवाड़ा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>11.00</td> <td>पिपरिया</td> <td>15.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>19.30</td> <td>नागपुर</td> <td>06.45</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	11.00	पिपरिया	15.15	आ.	आ.	19.30	नागपुर	06.45	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 53 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	11.00	पिपरिया	15.15	आ.																
आ.	19.30	नागपुर	06.45	प्र.																
15	4663/एसटीए/2017 दिनांक 07.06.2017	श्री शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी पुत्र श्री माधव सिंह रघुवंशी खरगौन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 10 पी 0663 बै.क्ष. 51+1 मॉ. 2014	नन्दूरवार से खरगौन व्हाया समदा, खेतिया, पानसेमल, निवाडी, सेंधवा, जुलवानिया, शेगांव एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 5588/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.08.17 के अनुक्रम में विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 11 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															

					स्टेशन			
			प्र.	06.10	नन्दूरवार	19.10	आ.	
			आ.	12.15	खरगौन	12.55	प्र.	
15ए	3010/एसटीए/2011 दिनांक 28.12.2011	श्री शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी पुत्र श्री माधव सिंह रघुवंशी खरगौन म0प्र0 वाहन क्र0 केए-52-0684 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2006	नन्दूरवार से खरगौन व्हाया शाहदा, खेतिया, पानसेमल, निवाड़ी, सेंधवा, जुलवानिया, शेगांव एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।				-	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 11 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन			
			प्र.	04.10	नन्दूरवार	21.55	आ.	
			आ.	09.45	खरगौन	16.15	प्र.	
15बी	3011/एसटीए/2011 दिनांक 28.12.2011	श्री शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी पुत्र श्री माधव सिंह रघुवंशी खरगौन म0प्र0 वाहन क्र0 केए-52-0684 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2006	नन्दूरवार से खरगौन व्हाया समदा, खेतिया, पानसेमल, निवाड़ी, सेंधवा, जुलवानिया, शेगांव एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।				-	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 11 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन			
			प्र.	04.10	नन्दूरवार	21.55	आ.	
			आ.	09.45	खरगौन	16.15	प्र.	
15सी	4664/एसटीए/2017 दिनांक 07.06.2017	श्री शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी पुत्र श्री माधव सिंह रघुवंशी खरगौन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 10 पी 0663 बै.क्ष. 51+1 मॉ. 2014	नन्दूरवार से खरगौन व्हाया समदा, खेतिया, पानसेमल, निवाड़ी, सेंधवा, जुलवानिया, शेगांव एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।				-	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 11 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन			
			प्र.	06.10	नन्दूरवार	19.10	आ.	
			आ.	12.15	खरगौन	12.55	प्र.	
15डी	4701/एसटीए/2018 दिनांक 12.04.2018	श्री दिलीप कुमार बोरगावकर पुत्र श्री प्रभाकर राव बोरगावकर खरगौन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 10 पी 1015 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2017	नन्दूरवार से खरगौन व्हाया समदा, खेतिया, पानसेमल, निवाड़ी, सेंधवा, जुलवानिया, शेगांव एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।				-	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 11 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन			
			प्र.	06.10	नन्दूरवार	19.10	आ.	
			आ.	12.15	खरगौन	12.55	प्र.	

16	4668ए/एसटीए/17 दिनांक 26.08.2017	श्री मंदीप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र पाल सिंह म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 2417 बै.क्ष. 38+2 मॉ. 2009	खण्डवा से भुसावल व्हाया पधाना, मितवाल, आवापुरी, चैनपुरी, झिरनिया, नहलदारी, छिरिया, धूपी, पदालचा, गढयाम, पल, रावेर, सावदा, फेजपुर एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 16373/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.10.17 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="856 446 1388 570"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>05.00</td> <td>खण्डवा</td> <td>21.00</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>12.45</td> <td>भुसावल</td> <td>13.25</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	05.00	खण्डवा	21.00	आ.	आ.	12.45	भुसावल	13.25	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 56 पर अंकित होकर 01 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	05.00	खण्डवा	21.00	आ.																
आ.	12.45	भुसावल	13.25	प्र.																
16ए	4717/एसटीए/18 दिनांक 14.09.2018	श्री मंदीप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र पाल सिंह म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 6444 बै.क्ष. 36+1 मॉ. 2014	खण्डवा से भुसावल व्हाया चिरिया, रावेर एक वापिसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="856 690 1388 813"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>05.00</td> <td>खण्डवा</td> <td>21.00</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>12.45</td> <td>भुसावल</td> <td>13.25</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	05.00	खण्डवा	21.00	आ.	आ.	12.45	भुसावल	13.25	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 56 पर अंकित होकर 01 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	05.00	खण्डवा	21.00	आ.																
आ.	12.45	भुसावल	13.25	प्र.																
17	4570/एसटीए/2016 दिनांक 19.10.16	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओनकारजी इन्दोर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एलएन 8509 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2008	इन्दौर से शैगाव व्हाया बडवानी, ओमकलेश्वर, सनावद, खण्डवा, बुरहानपुर, शाहपुर, इच्छापुर, एदलाबाद, मल्कापुर, नन्दुरा, आमगांव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 746/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.01.18 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="856 1122 1388 1245"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>19.00</td> <td>इन्दौर</td> <td>06.00</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>06.00</td> <td>शैगाव</td> <td>19.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	19.00	इन्दौर	06.00	आ.	आ.	06.00	शैगाव	19.00	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 34 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	19.00	इन्दौर	06.00	आ.																
आ.	06.00	शैगाव	19.00	प्र.																
17ए	3052/एसटीए/2011 दिनांक 29.12.11	श्री महेन्द्र सिंह शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम इन्दोर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 13 केसी 4219 बै.क्ष. 50+2 मॉ.	इन्दौर से शैगाव व्हाया खण्डवा, बुरहानपुर, एदलाबाद, खामगांव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 576/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.01.18 के अनुक्रम में विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 34 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															

					स्टेशन				
			प्र.	19.00	इन्दौर	06.00	आ.		
			आ.	06.00	शैगाव	19.00	प्र.		
17बी	3053/एसटीए/2011 दिनांक 29.12.11	श्री अजय सिंह चौहान पुत्र श्री ओमकार सिंह जी इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एस 8509 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2008	इन्दौर से शैगाव व्हाया बडवानी, ओमकलेश्वर, सनावद, खण्डवा, बुरहानपुर, शाहपुर, इच्छापुर, एदलाबाद, मल्कापुर, नन्दुरा, आमगांव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 34 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन				
			प्र.	19.00	इन्दौर	06.00	आ.		
			आ.	06.00	शैगाव	19.00	प्र.		
18	3057/एसटीए/2011 दिनांक 29.12.11	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओनकारजी, इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एलएन 8509 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2010	इन्दौर से जालना व्हाया बडवाह, सेनावर, खण्डवा, बुरहानपुर, एमपी महाराष्ट्र, इच्छापुर, मुक्ताइनगर, मुक्तागिरी, मलकानगर, बुलडाना, चिकली, देवलागांवराजा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 738/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.01.18 के अनुक्रम में विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 36 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन				
			प्र.	20.00	इन्दौर	06.30	आ.		
			आ.	07.45	जालना	19.15	प्र.		
18ए	3051/एसटीए/2011 दिनांक 29.12.11	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, उज्जैन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 13 सीए 4219 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	इन्दौर से जालना व्हाया बडवाह, सेनावर, खण्डवा, बुरहानपुर, एमपी महाराष्ट्र, इच्छापुर, मुक्ताइनगर, मुक्तागिरी, मलकानगर, बुलडाना, चिकली, देवलागांवराजा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 575/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.01.18 के अनुक्रम में विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 36 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन				
			प्र.	23.30	इन्दौर	16.00	आ.		
			आ.	10.30	जालना	05.00	प्र.		

19	4571/एसटीए/2016 दिनांक 19.10.16	श्री अजय सिंह चौहान पुत्र श्री ओमकार सिंह चौहान, इन्दौर म0प्र0 वाहन क0 एमपी 09 एफए 7009 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2013	इन्दौर से अकोला व्हाया समरोल, बडवाह, ओमकलेश्वर रोड, सनावद, देशगाव, दुलारफाटा, बोरगाव, बुरहानपुर, इच्छापुर, अरलाबार, मलकापुर, नान्दुरा, खामगाव, बालापुर एक एकल फेरा नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 735/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.01.18 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="852 446 1388 570"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.45</td> <td>इन्दौर</td> <td>20.52</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>18.10</td> <td>अकोला</td> <td>10.55</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.45	इन्दौर	20.52	आ.	आ.	18.10	अकोला	10.55	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 01 पर अंकित होकर 03 परमिट 03 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	07.45	इन्दौर	20.52	आ.																
आ.	18.10	अकोला	10.55	प्र.																
19ए	4576/एसटीए/2016 दिनांक 05.11.16	श्रीमती कोमल चौहान पत्नी श्री अजय सिंह चौहान इन्दौर म0प्र0 वाहन क0 एमपी 09 एफए 7109 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	इन्दौर से अकोला व्हाया सिमरोल, बादवाह, ओमकारेश्वररोड, सनावद, देशगाव, दुलारफाटा, बोरगाव, बुरहानपुर, इच्छापुर, अरलावार, मल्कापुर, नन्दुरा, खामगाव, बालापुर, बादवाह एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 556/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.01.18 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="852 881 1388 1005"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.45</td> <td>इन्दौर</td> <td>20.52</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>18.10</td> <td>अकोला</td> <td>10.55</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.45	इन्दौर	20.52	आ.	आ.	18.10	अकोला	10.55	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 01 पर अंकित होकर 03 परमिट 03 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	07.45	इन्दौर	20.52	आ.																
आ.	18.10	अकोला	10.55	प्र.																
19बी	1523/एसटीए/2008 दिनांक 19.11.08	श्री युसुफ अली पुत्र श्री जाकीर हुसैन, इटारसी म0प्र0 वाहन क0 एमपी 05 पी 0167 बै.क्ष. 40+1 मॉ. 2008	अकोला से इन्दौर व्हाया खामगांव, नदुरा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="852 1154 1388 1278"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.00</td> <td>अकोला</td> <td>17.10</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>17.30</td> <td>इन्दौर</td> <td>07.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.00	अकोला	17.10	आ.	आ.	17.30	इन्दौर	07.00	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 01 पर अंकित होकर 03 परमिट 03 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	07.00	अकोला	17.10	आ.																
आ.	17.30	इन्दौर	07.00	प्र.																
19डी	1524/एसटीए/2008 दिनांक 19.11.08	श्री युसुफ अली पुत्र श्री जाकीर हुसैन, इटारसी म0प्र0 वाहन क0 एमपी 05 पी 0166 बै.क्ष. 40+1 मॉ. 2008	अकोला से इन्दौर व्हाया खामगांव, नदुरा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 01 पर अंकित होकर 03 परमिट 03 फेरे															

								का प्रावधान है।	
					स्टेशन				
			प्र.	07.00	अकोला	17.10	आ.		
			आ.	17.30	इन्दौर	07.00	प्र.		
19ई	2213/एसटीए/2010 दिनांक 08.09.2010	श्री जितेन्द्र सिलावट पुत्र श्री रमेश सिलावट इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 0677 बै.क्ष. 46+2 मॉ.	इन्दौर से अकोल व्हाया सिमरोल, सेरवा, सनावद, देशगाव, खण्डवा, बेरगांव, असीरगढ, बुरहानपुर, शाहपुर, इच्छापुर, एदलावाद, मल्कापुर, होटला, नन्दुरा, खरगौन, बालापुर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 01 पर अंकित होकर 03 परमिट 03 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन				
			प्र.	06.00	इन्दौर	16.30	आ.		
			आ.	16.30	अकोला	06.00	प्र.		
19एफ	2433/एसटीए/2011 दिनांक 23.05.2011	श्री युसुफ अली पुत्र श्री जाकीर हुसैन, इटारसी म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 05 पी 0249 बै.क्ष. 55+2 मॉ. 2011	अकोल से इन्दौर व्हाया बालापुर, खामगांव, नन्दुरा, मलकापुर, मक्तानगर, इच्छापुर, शाहपुर, बुरहानपुर, बोरगाव, दुलार, शैगाव, देवगांव, सनावद, बादवहा, सिमरोल एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 01 पर अंकित होकर 03 परमिट 03 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन				
			प्र.	07.00	अकोला	16.40	आ.		
			आ.	16.40	इन्दौर	07.00	प्र.		
19जी	4388/एसटीए/2015 दिनांक 24.02.15	श्री अजय सिंह चौहान पुत्र श्री ओमकार सिंह इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 7009 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2013	इन्दौर से अकोला व्हाया सिमरोल, बादवाह, ओमकारेश्वररोड, सनावद, देशगाव, दुलारफाटा, बोरगाव, बुरहानपुर, इच्छापुर, मल्कापुर, नन्दुरा, खामगाव, बालापुर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 01 पर अंकित होकर 03 परमिट 03 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन				
			प्र.	08.10	इन्दौर	20.50	आ.		
			आ.	18.10	अकोला	10.55	प्र.		
19एच	4389/एसटीए/2015 दिनांक 24.02.15	श्रीमती कोमल चौहान पत्नी श्री अजय सिंह चौहान इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 8009 बै.क्ष. 50+2 मॉ.	इन्दौर से अकोला व्हाया सिमरोल, बादवाह, ओमकारेश्वररोड, सनावद, देशगाव, दुलारफाटा, बोरगाव, बुरहानपुर, इच्छापुर, मल्कापुर, नन्दुरा, खामगाव, बालापुर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 01 पर अंकित

		2014	स्थायी अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।		होकर 03 परमिट 03 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>08.10</td> <td>इन्दौर</td> <td>20.50</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>18.10</td> <td>अकोला</td> <td>10.55</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	08.10	इन्दौर	20.50	आ.	आ.	18.10	अकोला	10.55	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	08.10	इन्दौर	20.50	आ.																
आ.	18.10	अकोला	10.55	प्र.																
19आई	4571/एसटीए/2016 दिनांक 19.10.16	श्री अजय सिंह चौहान पुत्र श्री ओमकार सिंह चौहान, इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 7009 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2013	इन्दौर से अकोला व्हाया समरोल, बडवाह, ओमकलेश्वर रोड, सनावद, देशगाव, दुलारफाटा, बोरगाव, बुरहानपुर, इच्छापुर, अरलाबार, मलकापुर, नान्दुरा, खामगाव, बालापुर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 1 पर अंकित होकर 03 परमिट 03 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.45</td> <td>इन्दौर</td> <td>20.52</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>18.10</td> <td>अकोला</td> <td>10.55</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.45	इन्दौर	20.52	आ.	आ.	18.10	अकोला	10.55	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	07.45	इन्दौर	20.52	आ.																
आ.	18.10	अकोला	10.55	प्र.																
20	4384/एसटीए/2015 दिनांक 20.02.15	श्री कृष्णा मालवीय पुत्र श्री टांटूलाल, बडवानी म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 46 पी 9999 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	बडवानी से नन्दुरवार व्हाया अंजाद, राजपुर, थापला, पलसुड, निवाली, मोबडा, दोनवाडा, पानसेमल, खाटीया, सापखेडा, बाम्हापुरी, लोनखेडा, शाहदा, दामरखेडा, प्रकाडा, कोरीट, छोटीसादा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 4535/2018 में पारित आदेश दिनांक 23.02.18 के अनुक्रम में विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 25 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>05.30</td> <td>बडवानी</td> <td>17.35</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>10.55</td> <td>नन्दुरवार</td> <td>12.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	05.30	बडवानी	17.35	आ.	आ.	10.55	नन्दुरवार	12.00	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	05.30	बडवानी	17.35	आ.																
आ.	10.55	नन्दुरवार	12.00	प्र.																
20ए	4385/एसटीए/2015 दिनांक 20.02.15	श्री कृष्णा मालवीय पुत्र श्री टांटूलाल, बडवानी म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 46 पी 9999 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	बडवानी से नन्दुरवार व्हाया अंजाद, राजपुर, थापला, पलसुड, निवाली, मोबडा, दोनवाडा, पानसेमल, खाटीया, सापखेडा, बाम्हापुरी, लोनखेडा, शाहदा, दामरखेडा, प्रकाडा, कोरीट, छोटीसादा एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 25 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>05.30</td> <td>बडवानी</td> <td>17.35</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>10.55</td> <td>नन्दुरवार</td> <td>12.00</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	05.30	बडवानी	17.35	आ.	आ.	10.55	नन्दुरवार	12.00	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	05.30	बडवानी	17.35	आ.																
आ.	10.55	नन्दुरवार	12.00	प्र.																

21	3726/एसटीए/2014 दिनांक 20.02.14	मै. फोजदार बस सर्विस होशगाबाद म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 05 पी 0254 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, भोरा, बरेठा, बैतूल, मुलताई, प्रभातपाटटान ,बरुण, मोरसी एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 4409/2018 में पारित आदेश दिनांक 23.02.18 के अनुक्रम में विचार। <table border="1" data-bbox="852 407 1388 529"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.30</td> <td>भोपाल</td> <td>20.50</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>20.15</td> <td>अमरावती</td> <td>09.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.	आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.																
आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.																
21ए	3727/एसटीए/2014 दिनांक 20.02.14	मै. फोजदार बस सर्विस होशगाबाद म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 05 पी 0255 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, भोरा, बरेठा, बैतूल, मुलताई, प्रभातपाटटान ,बरुण, मोरसी एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="852 688 1388 810"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.30</td> <td>भोपाल</td> <td>20.50</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>20.15</td> <td>अमरावती</td> <td>09.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.	आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.																
आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.																
21बी	1533/एसटीए/2008 दिनांक 04.12.08	श्रीमती अर्चना मुदगल पत्नी श्री गिरीश मुदगल, भोपाल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 41 एफ 0209 बै.क्ष. 32+1 मॉ. 2003	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, बैतूल, मुलताई, प्रभातपाटटान ,बरुण, मोरसी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="852 969 1388 1091"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.30</td> <td>भोपाल</td> <td>20.50</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>20.15</td> <td>अमरावती</td> <td>09.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.	आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.																
आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.																
21सी	1534/एसटीए/2008 दिनांक 04.12.08	श्रीमती अर्चना मुदगल पत्नी श्री गिरीश मुदगल, भोपाल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 41 एफ 0208 बै.क्ष. 32+1 मॉ. 2003	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, बैतूल, मुलताई, प्रभातपाटटान ,बरुण, मोरसी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1" data-bbox="852 1250 1388 1372"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.30</td> <td>भोपाल</td> <td>20.00</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>20.15</td> <td>अमरावती</td> <td>09.15</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.30	भोपाल	20.00	आ.	आ.	20.15	अमरावती	09.15	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	09.30	भोपाल	20.00	आ.																
आ.	20.15	अमरावती	09.15	प्र.																
21डी	1535/एसटीए/2008 दिनांक 16.12.08	श्री रमेश कटियार पुत्र श्री व्ही. डी. कटियार भोपाल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 04 पीए 0176	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, बैतूल, मुलताई, बरुण, मोरसी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल															

		बै.क्ष. 32+2 मॉ. 2006	आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>08.50</td> <td>भोपाल</td> <td>20.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>20.00</td> <td>अमरावती</td> <td>09.15</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	08.50	भोपाल	20.30	आ.	आ.	20.00	अमरावती	09.15	प्र.		क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	08.50	भोपाल	20.30	आ.																
आ.	20.00	अमरावती	09.15	प्र.																
21ई	1536/एसटीए/2008 दिनांक 16.12.08	श्री रमेश कटियार पुत्र श्री व्ही. डी. कटियार भोपाल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 04 पीए 0306 बै.क्ष. 32+2 मॉ. 2006	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, बैतूल, मुलताई, बरुण, मोरसी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>08.50</td> <td>भोपाल</td> <td>20.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>20.00</td> <td>अमरावती</td> <td>09.05</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	08.50	भोपाल	20.30	आ.	आ.	20.00	अमरावती	09.05	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	08.50	भोपाल	20.30	आ.																
आ.	20.00	अमरावती	09.05	प्र.																
21एफ	1577/एसटीए/2009 दिनांक 14.01.09	श्री सैयद सुयूफ अली पुत्र श्री सेयद मसीद अली, बैतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 0147 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2008	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, शाहपुर, बैतूल, मुलताई, प्रभातपाटन, बरुण, मोरसी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>06.10</td> <td>भोपाल</td> <td>20.20</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>17.50</td> <td>अमरावती</td> <td>08.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	06.10	भोपाल	20.20	आ.	आ.	17.50	अमरावती	08.30	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	06.10	भोपाल	20.20	आ.																
आ.	17.50	अमरावती	08.30	प्र.																
21जी	1580/एसटीए/2009 दिनांक 14.01.09	श्रीमती तसलीम पुत्र श्री हाजी शमीम खान, बैतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 1467 बै.क्ष. 38+2 मॉ. 2007	भोपाल से अमरावती व्हाया अब्दुलागंज, होशगाबाद, इटारसी, केसला एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.				आ.	आ.				प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.				आ.																
आ.				प्र.																
21एच	2192/एसटीए/2010 दिनांक 25.06.10	श्रीमती तसलीम पुत्र श्री हाजी शमीम खान, बैतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफ 1092 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2009	भोपाल से अमरावती व्हाया अब्दुलागंज, होशगाबाद, इटारसी, सुखतवा, भौरा, शाहपुर, पाठर, बैतूल, मुलताई, पाटन बरुण, मोसी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.10</td> <td>भोपाल</td> <td>23.05</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>18.05</td> <td>अमरावती</td> <td>11.40</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.10	भोपाल	23.05	आ.	आ.	18.05	अमरावती	11.40	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	07.10	भोपाल	23.05	आ.																
आ.	18.05	अमरावती	11.40	प्र.																

21आई	2745/एसटीए/2011 दिनांक 27.08.2011	मै. फोजदार बस सर्विस होशगाबाद म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 05 पी 0255 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, भोरा, बरेठा, बैतूल, मुलताई, प्रभातपाटटान ,बरुण, मोरसी एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.30</td> <td>भोपाल</td> <td>20.50</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>20.15</td> <td>अमरावती</td> <td>09.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.	आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.																
आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.																
21जे	2746/एसटीए/2011 दिनांक 20.02.11	मै. फोजदार बस सर्विस होशगाबाद म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 05 पी 0254 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, भोरा, बरेठा, बैतूल, मुलताई, प्रभातपाटटान ,बरुण, मोरसी एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.30</td> <td>भोपाल</td> <td>20.50</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>20.15</td> <td>अमरावती</td> <td>09.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.	आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.																
आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.																
21के	3523/एसटीए/2012 दिनांक 06.11.12	श्री तसनीम खान पुत्र श्री शामीन खान, बैतूल म0प्र0 वाहन क्र0 टीएन 51 आर 5505 बै.क्ष. 64+2 मॉ. 2008	भोपाल से अमरावती व्हाया अब्दुलागंज, होशगाबाद, इटारसी, सुखतवा, भावरा, शाहपुर, पाधर, बैतूल, मुलताई, पाटन, बरुण, मोरसी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.10</td> <td>भोपाल</td> <td>22.50</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>18.05</td> <td>अमरावती</td> <td>11.45</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.10	भोपाल	22.50	आ.	आ.	18.05	अमरावती	11.45	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	07.10	भोपाल	22.50	आ.																
आ.	18.05	अमरावती	11.45	प्र.																
21एल	4033/एसटीए/2014 दिनांक 30.10.14	श्री सैयद साजिद अली पुत्र श्री एस. एम. अली, बैतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 1211 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2011	भोपाल से अमरावती व्हाया होशगाबाद, इटारसी, भोरा, शाहपुर, बरेठा, बैतूल, मुलताई, प्रभातपाटटान ,बरुण, मोरसी एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.30</td> <td>भोपाल</td> <td>20.50</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>20.15</td> <td>अमरावती</td> <td>09.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.	आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	09.30	भोपाल	20.50	आ.																
आ.	20.15	अमरावती	09.30	प्र.																
21एम	4702/एसटीए/2018 दिनांक 12.04.18	श्री सैयद साजिद अली पुत्र श्री एस. एम. अली, बैतूल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 48 पी 2911 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	भोपाल से अमरावती व्हाया मंडीदीप, अब्दुलागंज, होशगाबाद, इटारसी, केसला, सुखतवा, भोरा, शाहपुर, पाठर, बैतूल, मुलताई, पाटटान ,बरुण, मोरसी एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग के सरल क्रमांक 20 पर अंकित															

			हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।		होकर 04 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>07.05</td> <td>भोपाल</td> <td>23.15</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>18.05</td> <td>अमरावती</td> <td>11.40</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	07.05	भोपाल	23.15	आ.	आ.	18.05	अमरावती	11.40	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	07.05	भोपाल	23.15	आ.																
आ.	18.05	अमरावती	11.40	प्र.																
22	/एसटीए/2013 दिनांक 30.7.13	श्री महेन्द्र शर्मा 11 इन्दौर गेट उज्जैन म0प्र0 वाहन क्र. एमपी 13 टीए 4219	इन्दौर से परभाणी व्हाया वदवाह, सनावद, खण्डवा, बुरहानपुर, एमपी बोडर, इच्छापुर, मुक्ताईनगर, मलकापुर, बुलधाना, चिकली, देवलागांव राजा, जालना, मानथा, जीतूर, उण्डा, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 566/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.01.18 के अनुक्रम में विचार।		म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 16 पर अंकित होकर 01 परमिट 01 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>23.30</td> <td>इन्दौर</td> <td>16.00</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>16.00</td> <td>परभाणी</td> <td>23.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	23.30	इन्दौर	16.00	आ.	आ.	16.00	परभाणी	23.30	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	23.30	इन्दौर	16.00	आ.																
आ.	16.00	परभाणी	23.30	प्र.																
22ए	4401/एसटीए/2015 दिनांक 26.02.15	श्री महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री ओमकार सिंह चौहान, इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 8509 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2012	इन्दौर से परभाणी व्हाया वदवाह, सनावद, खण्डवा, बुरहानपुर, एमपी बोडर, इच्छापुर, मुक्ताईनगर, मलकापुर, बुलधाना, चिकली, देवलागांव राजा, जालना, मानथा, जीतूर, उण्डा, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 16 पर अंकित होकर 01 परमिट 01 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>20.00</td> <td>इन्दौर</td> <td>06.30</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>12.30</td> <td>परभाणी</td> <td>14.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	20.00	इन्दौर	06.30	आ.	आ.	12.30	परभाणी	14.30	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	20.00	इन्दौर	06.30	आ.																
आ.	12.30	परभाणी	14.30	प्र.																
23	4675ए/एसटीए/17 दिनांक 21.12.2017	श्री कृष्ण कुमार मालवीय पुत्र श्री तन्तुलाल मालवीय बडवानीर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 7914 बै.क्ष. 36+1 मॉ. 2017	बडवानी से डोडायचा व्हाया सिलावद, पलसुद, बर्जर, निवाली, मोयदा, पासेमल, खेतिया, ब्रमपुरी, सहदा, सलखेडा एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 7737/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2018 के अनुक्रम में विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 19 पर अंकित होकर 02 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।															
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>स्टेशन</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्र.</td> <td>09.20</td> <td>वडवानी</td> <td>20.20</td> <td>आ.</td> </tr> <tr> <td>आ.</td> <td>15.00</td> <td>डोडायचा</td> <td>15.30</td> <td>प्र.</td> </tr> </table>			स्टेशन			प्र.	09.20	वडवानी	20.20	आ.	आ.	15.00	डोडायचा	15.30	प्र.		
		स्टेशन																		
प्र.	09.20	वडवानी	20.20	आ.																
आ.	15.00	डोडायचा	15.30	प्र.																

23ए	4503/एसटीए/2015 दिनांक 23.09.2015	श्री मोहनलाल सावरिय पुत्र श्री काशीराम सावरिया बडवानी म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 46 पी 0397 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2015	बडवानी से डोडायचा व्हाया अंजड, राजपुर, पनसूद, निवाली, मोयदा, पासेमल, खेतिया,, सहदा, एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>स्टेशन</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>प्र.</td><td>07.00</td><td>बडवानी</td><td>20.30</td><td>आ.</td></tr><tr><td>आ.</td><td>12.30</td><td>डोडायचा</td><td>15.15</td><td>प्र.</td></tr></tbody></table>			स्टेशन			प्र.	07.00	बडवानी	20.30	आ.	आ.	12.30	डोडायचा	15.15	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 19 पर अंकित होकर 02 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	07.00	बडवानी	20.30	आ.																
आ.	12.30	डोडायचा	15.15	प्र.																
23बी	4713/एसटीए/2018 दिनांक 10.05.2018	श्रीमती भावना सावरिया पत्नी श्री मोहनलाल सावरिय बडवानी म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 46 पी 0472 बै.क्ष. 35+1 मॉ. 2017	बडवानी से डोडायचा व्हाया तलून, अंजड, विलवा, राजपुर, दनोड, उपला, पनसूद, भजार, निवाली, मोयदा, पासेमल, भरमाता, खेतिया,, बरमनपुरी, सहदा, सरनखेडा एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार। <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>स्टेशन</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>प्र.</td><td>10.05</td><td>बडवानी</td><td>21.05</td><td>आ.</td></tr><tr><td>आ.</td><td>15.30</td><td>डोडायचा</td><td>16.00</td><td>प्र.</td></tr></tbody></table>			स्टेशन			प्र.	10.05	बडवानी	21.05	आ.	आ.	15.30	डोडायचा	16.00	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 19 पर अंकित होकर 02 परमिट 04 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	10.05	बडवानी	21.05	आ.																
आ.	15.30	डोडायचा	16.00	प्र.																
24	2564/एसटीए/2011 दिनांक 06.08.2011	श्री दीपक वर्मा पुत्र श्री ए. एन. वर्मा भोपाल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 04 पीए 2147 बै.क्ष. 35+2 मॉ. 2011	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. 8164/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 के अनुक्रम में विचार। <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>स्टेशन</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>प्र.</td><td>22.45</td><td>इन्दौर</td><td>05.00</td><td>आ.</td></tr><tr><td>आ.</td><td>09.35</td><td>शिर्डी</td><td>18.45</td><td>प्र.</td></tr></tbody></table>			स्टेशन			प्र.	22.45	इन्दौर	05.00	आ.	आ.	09.35	शिर्डी	18.45	प्र.	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
		स्टेशन																		
प्र.	22.45	इन्दौर	05.00	आ.																
आ.	09.35	शिर्डी	18.45	प्र.																
24बी	2565/एसटीए/2011 दिनांक 06.08.2011	श्री अनिल वर्मा पुत्र श्री ए. एन. वर्मा भोपाल म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 04 पीए 0693 बै.क्ष. 35+2 मॉ. 2008	शिर्डी से इन्दौर व्हाया कोपरगाव, येवला, मनबाड, मालेगांव, धुलिया, सिरपुर, बीजासेन, सेधवा, जुलवानिया, धामनोद, मानपुर एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।	—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।															

				स्टेशन					
			प्र.	18.45	शिर्डी	09.35	आ.		
			आ.	05.00	इन्दौर	22.45	प्र.		
24सी	2620/एसटीए/2011 दिनांक 11.08.2011	श्रीमती जयश्री लोनकर पत्नी श्री अजय लोनकर इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 2050 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2007	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	21.45	इन्दौर	04.15	आ.		
			आ.	07.45	शिर्डी	18.15	प्र.		
24डी	2626/एसटीए/2011 दिनांक 11.08.2011	श्रीमती सरिता लोनकर पत्नी श्री विनायक लोनकर इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 11 पी 0355 बै.क्ष. 60+2 मॉ. 2010	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, भानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	22.20	इन्दौर	06.30	आ.		
			आ.	09.00	शिर्डी	19.45	प्र.		
24ई	2625/एसटीए/2011 दिनांक 11.08.2011	श्रीमती सरिता लोनकर पत्नी श्री विनायक लोनकर इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 11 पी 5355 बै.क्ष. 54+2 मॉ. 2011	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, भानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	22.20	इन्दौर	06.30	आ.		
			आ.	09.00	शिर्डी	19.45	प्र.		
24एफ	2702/एसटीए/2011 दिनांक 18.08.2011	श्री शिव पटेल पुत्र श्री बाबूलाल पटेल धार म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 11 पी 0655 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2006	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, गुजरी, धामनोद, खलघाट, निमरानी, ठीकरी, खुरमापुरा, बरूफाटक, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सुले, सिरपुर, नरदाना, सिनगिरी, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।

					स्टेशन				
			प्र.	07.00	इन्दौर	15.45	आ.		
			आ.	19.45	शिर्डी	02.50	प्र.		
24जी	2703/एसटीए/2011 दिनांक 11.08.2011	श्रीमती सरिता लोनकर पत्नी श्री विनायक लोनकर इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 09 एफए 2255 बै.क्ष. 50+2 मॉ. 2007	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन				
			प्र.	21.45	इन्दौर	04.15	आ.		
			आ.	07.45	शिर्डी	18.15	प्र.		
24एच	3496/एसटीए/2012 दिनांक 10.09.2012	श्री कालीचरण सोनवानिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र सोनवानिया धार म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 11 पी 0585 बै.क्ष. 60+2 मॉ. 2009	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, गुजरी, धामनोद, खलघाट, निमरानी, ठीकरी, खुरमापुरा, बरूफाटक, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सुले, सिरपुर, नरदाना, सिनगिरी, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन				
			प्र.	07.00	इन्दौर	15.45	आ.		
			आ.	19.45	शिर्डी	02.50	प्र.		
24आई	2925/एसटीए/2011 दिनांक 14.12.2011	श्री पवन अरोरा पुत्र श्री अशोक अरोरा ग्वालियर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 07 केजे 0777 बै.क्ष. 56+2 मॉ. 2011	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन				
			प्र.	21.45	इन्दौर	04.15	आ.		
			आ.	07.45	शिर्डी	18.15	प्र.		
24जे	2926/एसटीए/2011 दिनांक 14.12.2011	श्रीमती सीमा अरोरा पत्नी श्री राजकुमार अरोरा ग्वालियर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 07 एम एम 0777 बै.क्ष. 56+2 मॉ. 2011	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे

					स्टेशन				का प्रावधान है।		
			प्र.	21.45	इन्दौर	04.15	आ.				
			आ.	07.45	शिर्डी	18.15	प्र.				
24के	2927/एसटीए/2011 दिनांक 14.12.2011	श्रीमती सीमा अरोरा पत्नी श्री राजकुमार अरोरा ग्वालियर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 07 पी 0997 बै.क्ष. 52+2 मॉ. 2011	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।							—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन						
			प्र.	22.45	इन्दौर	17.00	आ.				
			आ.	09.35	शिर्डी	06.45	प्र.				
24एल	2928/एसटीए/2011 दिनांक 14.12.2011	श्री पवन अरोरा पुत्र श्री अशोक अरोरा ग्वालियर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 07 केजे 0777 बै.क्ष. 56+2 मॉ. 2011	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।							—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन						
			प्र.	22.45	इन्दौर	17.00	आ.				
			आ.	09.35	शिर्डी	06.45	प्र.				
24एम	3045/एसटीए/2011 दिनांक 28.12.2011	श्री विक्की गुरुदासनी पुत्र श्री मनोहारलाल जी इन्दौर म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 12 एफए 0103 बै.क्ष. 50+2	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, धामनोद, खलघाट, जुलवानिया, सेंधवा, बीजासेन, सिरपुर, नरदाना, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।							—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन						
			प्र.	07.00	इन्दौर	15.45	आ.				
			आ.	19.45	शिर्डी	02.50	प्र.				
24एन	4698/एसटीए/2018 दिनांक 05.04.2018	श्री कालीचरण सौनवानिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र सौनवानिया धार म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 11 पी 2655 बै.क्ष. 50+2 मॉ 2011	इन्दौर से शिर्डी व्हाया मानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।							—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।

				स्टेशन					
			प्र.	13.35	इन्दौर	18.00	आ.		
			आ.	23.15	शिर्डी	07.30	प्र.		
24ओ	4699/एसटीए/2018 दिनांक 05.04.2018	श्री संजय लोनकर पुत्र श्री विनायक लोनकर धार म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 11 पी 7255 बै.क्ष. 50+2 मॉ 2015	इन्दौर से शिर्डी व्हाया महू, मानपुर, धामनोद, जुलवानिया, सेंधवा, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	22.20	इन्दौर	06.30	आ.		
			आ.	09.00	शिर्डी	18.30	प्र.		
24पी	4714/एसटीए/2018 दिनांक 25.06.2018	श्री महेश सिंकर पुत्र श्री तुलसीराम बडवानी म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 46 पी 5569 बै.क्ष. 56+2 मॉ 2016	इन्दौर से शिर्डी व्हाया धामनोद, खलघाट, ठीकरी, जुलवानिया, सेंधवा, सिरपुर, धुलिया, मालेगांव, मानमाड, येवला, कोपरगाव, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 14 पर अंकित होकर 08 परमिट 08 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	07.00	इन्दौर	00.45	आ.		
			आ.	17.30	शिर्डी	14.02	प्र.		
25	4475/एसटीए/2011 दिनांक 18.08.2015	श्रीमती अंजली शर्मा पत्नी श्री शिव कुमार शर्मा उज्जैन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 13 डीक्यू 3333 बै.क्ष. 50+2 मॉ 2013	शैगाव से उज्जैन व्हाया खमगांव, मलकापुर, इच्छापुर, बुरहानपुर, दुलालफाटा, खनडवा, देशगाव, सनावडा, बडवाह, सिमरोल, इन्दौर, एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 8240/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 के अनुक्रम में विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 64 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
				स्टेशन					
			प्र.	05.00	शैगाव	20.15	आ.		
			आ.	16.55	उज्जैन	09.12	प्र.		
25ए	4474/एसटीए/2011 दिनांक 18.08.2015	श्री संकेत बरोडिया पुत्र श्रीराम बरोडिया उज्जैन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 13 एबी 3333 बै.क्ष. 50+2 मॉ 2013	उज्जैन से शैगाव व्हाया इन्दौर, सिमरोल, बडवाह, सनावदा, देशगांव, खनडवा, दुलियाफाटा, बुरहानपुर, इच्छापुर, मलकापुर, खामगांव एक एकल फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।					—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ख" के सरल क्रमांक 64 पर अंकित होकर 02 परमिट 02 फेरे

					स्टेशन				का प्रावधान है।	
			प्र.	09.12	उज्जैन	16.55	आ.			
			आ.	20.15	शैगाव	05.00	प्र.			
26	3047/एसटीए/2011 दिनांक 28.12.2011	श्री सुभाष भादाने पुत्र श्री सीताराम भादाने खरगौन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 10 पी 0339 बै.क्ष. 50+2	खरगौन से धुलिया व्हाया सशेगांव, जुलवानिया, बीजासेन, सिरपुर, नरधान एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 8107/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2014 के अनुक्रम में विचार।						—	म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 23 पर अंकित होकर 01 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
					स्टेशन					
			प्र.	06.30	रायपुर	18.30	आ.			
			आ.	11.30	मण्डला	13.30	प्र.			

विशेष नोट :- 1—उक्त एजेण्डे में उक्त मार्गों से संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्रों को ही माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के पालन में सुनवाई हेतु रखा गया है।

2—आवेदक को स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम पंजीकृत वाहनों एवं जारी परमिटों की जानकारी के संबंध में शपथ पत्र व कर बकाया ना होने के संबंध में कर अनापत्ति प्रमाण पत्र बैठक दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3—म.प्र. शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-21-2015/आठ भोपाल दिनांक 07.09.2016 के अनुसार स्थाई परमिटों हेतु निर्धारित किये गये शुल्क के अनुसार अंतर की राशि सुनवाई पूर्व दि0 12.04.2018 तक जमा कर प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4— उक्त विषय में यदि आवेदक अन्य कोई दस्तावेज/कोई अन्य वाहन या अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत करना चाहे तो वे दिनांक 07.04.2018 तक दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह भी लेख है कि आवेदक बैठक दिनांक 12.04.2018 को भी जानकारी/दस्तावेज आदि प्रस्तुत कर सकते हैं।

5—उक्त मार्गों के प्रकाशित आवेदनों के अतिरिक्त यदि उक्त मार्गों से संबंधित किसी आवेदक का कोई पूर्व आवेदन प्रकाशन में सम्मिलित ना हुआ हो तो वो प्रमाण सहित पूर्व में प्रस्तुत आवेदन/शुल्क दस्तावेज आदि की प्रति स्वयं अथवा वैध अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अभिभाषक के माध्यम से कर सकता है। साथ ही उक्त विषय में यदि आवेदक अन्य कोई दस्तावेज/कोई अन्य वाहन संबंधी दस्तावेज या अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत करना चाहे तो वे बैठक दिनांक 12.04.2018 तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक :-

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार,
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, म.प्र. के कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. प्रभारी, स्मार्ट चिप कंपनी, मोतीमहल की ओर उक्त एजेण्डा का प्रकाशन विभागीय वेवसाइट www.mptransport.org पर करते हुये समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्त एवं अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की ओर एजेण्डा को कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं स्थानीय समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित कराने हेतु सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मोतीमहल, ग्वालियर की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्राधिकार की बैठक के आयोजन के संबंध में राज्य स्तरीय समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार, म.प्र.